संचिका सं0 14/विविध–25/15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 944(14) दिनांक–20.08.14 द्वारा प्रावधानित सुविधा में विकल्प के आधार पर शामिल सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को इस योजना से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करने के सम्बंध में।

सेवानिवृत सरकारी कर्मियों /पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को स्वास्थ्य विभाग के संकल्प–944(14) दिनांक–20.08.14 द्वारा चिकित्सा भत्ता नहीं लेने के शर्त पर कतिपय स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। यह एक ऐच्छिक योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनेक सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा इस योजना में शामिल होकर चिकित्सा भत्ता नहीं लेने का विकल्प दिया गया। तत्पश्चात इस योजना में शामिल सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों के चिकित्सा भत्ता की कटौती की जाने लगी।

2. कुछ महीनों के बाद ही इस योजना में शामिल अनेक सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा योजना/विकल्प से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करते रहने का आवेदन दिया गया है परन्तु इसकी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि संकल्प में इस योजना एवं विकल्प से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्राप्त हो रहे अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त इस संदर्भ में विभागीय संकल्प 944(14) दिनांक–20.08.14 द्वारा प्रावधानित सुविधा में शामिल सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों जो इस योजना से बाहर निकल कर पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करना चाहते है, वे संबंधित बैंक/कोषागार में पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने एवं इस योजना में प्रावधानित सुविधा प्राप्त नहीं करने के संबंध में घोषणा पत्र/विकल्प देंगें। तत्पश्चात संबंधित सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों का चिकित्सा भत्ता पूर्व की तरह प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(4) उक्त के आलोक में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश सभी बैंक/कोषागार को जारी किया जायेगा।

ह0/- 9/3/2018

(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 398(14)

पटना, दिनांक 09.03.18

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रस्तुत संकल्प की कंडिका–4 के आलोक में वांछित कार्रवाई कर इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जाय।

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/- 9/3/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\sankalp Retired person 2016.doc

P.T.O

ज्ञापांक– 398(14)   पटना, दिनांक 09.03.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन व विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर)/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/ सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,/अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर अस्पताल/निदेशक टी० बी० डी०सी० पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ।

9/3/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\sankalp Retired person 2016.doc